भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

उत्तर देने की तारीख : 08.08.2022

एमएसएमई क्षेत्र के ऋण क्रेडिट को बढ़ाना

2513. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बैंक क्रेडिट/ऋण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमएसएमई क्षेत्र के बैंक क्रेडिट में वास्तविक वृद्धि नवंबर 2015-16 से 2020-21 के बीच घटी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के ऋण क्रेडिट में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-2022 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया ऋण का वर्ष-वार विवरण है अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2015-16 की तुलना में मार्च 2020-21 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्पष्ट निबंध में) द्वारा एमएसएमई को बकाया ऋण में 46.70% वृद्धि हुई थी।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार और सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जा रहा है।

ii. आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित है। स्कीम के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र एमएसएमई इकाइयों को पूरी तरह से गारंटीकृत और कोलेट्रल-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022 में इस स्कीम को 5 लाख करोड़ रुपये के कुल कवर के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के माध्यम से एमएसई को 200 लाख रुपये की सीमा तक कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 50% से 85% तक का गारंटी कवरेज दिया जाता है।

iv. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेट्रल सुरक्षा न लें।

v. एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या को हल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vi. कोविड-19 की व्याप्ति के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, एमएसएमई को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत 50 करोड़ रुपये तक के मौजूदा ऋणों हेतु परिसंपत्ति में कमी किए बिना और कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्गठन की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

vii. मौद्रिक नीति संचरण में सुधार की दृष्टि से बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी गई है।

viii. 'प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग' के तहत "को-लैंडिंग मॉडल" में बैंकों और एनबीएफसी के एक संयुक्त प्रयास में तुलनात्मक लाभ का उपयोग करके बेहतर लेवरेज की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों (एमएसएमई उद्यमों सहित) के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार करना है, जिन्हें सुविधाएं या तो प्राप्त नहीं हैं या कम सुविधाएं प्राप्त हैं।

*****

अनुबंध I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2513, जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण

बकाया राशि करोड़ रुपये में

वर्ष समाप्ति	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (बकाया राशि)
मार्च 2018	13,24,239.35
मार्च 2019	15,10,650.52
मार्च 2020	16,13,582.17
मार्च 2021	17,83,924.80
मार्च 2022*	22,27,539.40

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

* आंकड़े अनंतिम हैं